

अध्याय - 2

पर्यावरण संरक्षण के प्रयास व सफलताएँ

हम पढ़ेंगे



- 2.1 पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता
- 2.2 पर्यावरणीय प्रभाव का अध्ययन
- 2.3 पर्यावरणीय प्रभाव अनुमानक या ई.आई.ए. की भूमिका
- 2.4 चिपको आंदोलन
- 2.5 साइलेण्ट वेली
- 2.6 सी.एन.जी.
- 2.7 जल संरक्षण के प्रयास

2.1 पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता

पृथ्वी पर विविध प्रकार के पेड़-पौधे और प्राणी निवास करते हैं। मानव पृथ्वी का सबसे बुद्धिमान और शक्तिशाली जीव है, पर प्रकृति ने मानव को यह अधिकार नहीं दिया है कि वह वहां के संसाधनों को नष्ट करें। आवश्यकता इस बात की है कि हम इन संसाधनों का सावधानी के साथ उपयोग करें। आज पर्यावरण असंतुलन विश्व की ज्वलन्त समस्या है। प्रदूषण की समस्या के निराकरण के लिए आम जनता को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाने की आवश्यकता है। पर्यावरणविद्, राजनेता एवं नीति निर्धारक समूह इस विषय में रुचि लेकर सम्मिलित प्रयास करें तो ही हम पर्यावरण संरक्षण को संभव बना सकते हैं।

2.2 पर्यावरणीय प्रभाव का अध्ययन

पर्यावरण प्रदूषण को रोकने और संसाधन को नष्ट होने से बचाने के लिए आयोजित प्रबन्धन को पर्यावरण संरक्षण कहते हैं।

वर्तमान में विश्व की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। इससे प्राकृतिक संसाधनों का तीव्र गति से उपयोग हो रहा है। तीव्र एवं अविवेकपूर्ण दोहन से प्रदूषण दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मानव, वनस्पति, जीव-जन्तु एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों (जल, वायु, खनिज) को संरक्षित किया जाना आवश्यक है।

मनुष्य प्रकृति का सर्जक ही नहीं, एक घटक भी है। मनुष्य प्रकृति से हटकर कुछ समय तक अपना अस्तित्व बनाए रख सकता है, परन्तु हमेशा के लिए नहीं। यदि भविष्य में मानव को अपना अस्तित्व बनाये रखना है, तो प्रकृति से दोस्ती का मार्ग अपनाना होगा। इसके लिए हमें निम्नलिखित बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है –

- जनसंख्या वृद्धि में स्थिरता लाने हेतु परिवार नियोजन एवं सन्तति निरोधक उपायों का प्रयोग।
- जैव उर्वरक व वर्मी कम्पोस्टिंग का कृषि में उपयोग।
- सौर ऊर्जा द्वारा धरती से जल का दोहन।
- खाना पकाने हेतु बायोगैस का प्रयोग।
- सिंचाई के लिए नियंत्रित बांधों और जल विभाजकों का निर्माण।
- वृक्षारोपण को प्रोत्साहन।

- फसल-चक्र का पालन।
- वन्य जीवों, पौधों एवं पशुओं का संरक्षण एवं राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य का विकास।
- पक्षी एवं अन्य जीवों के शिकार पर रोक।
- प्लास्टिक के उपयोग पर रोक।
- गैर परम्परागत ऊर्जा के साधनों (जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा) का उपयोग।
- नगर पालिकाओं एवं नगरनिगमों द्वारा शहरी क्षेत्र के अपशिष्टों का संग्रहण, निक्षेपण एवं निपटान।
- औद्योगिक अपशिष्ट एवं उत्पादों का पुनः चक्रण।
- कल-कारखानों में मशीनों के रखरखाव पर ध्यान एवं ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण।

पर्यावरण के प्रति जन जागरूकता में वृद्धि हेतु विश्व बन दिवस, जल दिवस, जनसंच्छा दिवस तथा पर्यावरण दिवस का आयोजन सामाजिक सहभागिता के आधार पर किया जाना आवश्यक हो जाता है।

2.3 पर्यावरणीय प्रभाव अनुमानक या

ई.आई.ए. / (Environment Impact Assessment)

मनुष्य द्वारा जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में की गई प्रगति प्राकृतिक संसाधनों के अनियंत्रित दोहन का परिणाम है। वर्तमान में पर्यावरण प्रदूषण और विघटन उच्च स्तर तक पहुंच चुका है। यह मानव समाज के लिए अति भयावह है।

अभी तक हम विकास के लिए कोई परियोजना तैयार करने में तीन उद्देश्यों पर ध्यान देते रहे हैं -

1. परियोजना आर्थिक दृष्टि से अधिक से अधिक लाभप्रद हो।
2. परियोजना तकनीकी रूप से व्यावहारिक हो।
3. यह पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाए।

अब हम तृतीय उद्देश्य पर अधिक ध्यान देने लगे हैं। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए पर्यावरणीय प्रभाव अनुमानक या ई.आई.ए. (Environment Impact Assessment) महत्वपूर्ण हो जाता है।

पर्यावरणीय प्रभाव का निर्धारण अपनी परियोजनाओं में पर्यावरण पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव को शामिल करता है। पर्यावरण प्रभाव अनुमानक परियोजना से होने वाले लाभकारी और नुकसानदेह प्रभाव का मूल्यांकन गुणात्मक और संख्यात्मक दोनों प्रकार से करता है। ई.आई.ए. का लक्ष्य इस बात का ध्यान रखना होता है कि पर्यावरण का विघटन कम से कम हो। पर्यावरण प्रभाव का निर्धारण एक धारणा है जो विकास प्रक्रिया और पर्यावरण की सुरक्षा मिलजुल कर क्रियान्वित करने में विश्वास करती है। जब किसी क्षेत्र में विकास हेतु नवीन योजना बनती है तब यह जानना आवश्यक हो जाता है कि उस योजना का उस स्थान विशेष की जलवायु, वनस्पति, जीवजन्तु एवं समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। विकास की इन योजनाओं जैसे विद्युत संयंत्र, बांध, इस्पात एवं लौह कारखाने का पर्यावरण पर क्या प्रभाव होगा। खाद्यान्तरिक्ष तेल, कागज, सीमेन्ट उद्योग में यह और भी अधिक आवश्यक हो जाता है अतः इन योजनाओं को प्रारंभ करने के पूर्व पर्यावरण प्रभाव वक्तव्य तैयार किया जाता है।

पर्यावरण प्रभाव निर्धारण पर्यावरणीय गुणवत्ता को बनाए रखने की महत्वपूर्ण तकनीक है। इसके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं -

- पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना प्रगति हो ।
- पर्यावरण की गुणवत्ता बनी रहे ।
- प्रगति स्थायी हो ताकि वर्तमान तथा आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताएं भी पूरी हो सके ।
- पर्यावरण को विघटन से बचाया जाए ताकि उपचार किया जा सके।
- विकास की प्रक्रिया में यह महत्वपूर्ण शस्त्र के समान निश्चय करें।

विकास योजना के पूर्व पर्यावरण प्रभाव वक्तव्य तैयार किया जाता है, इसमें भूमि, धरातल, मिट्टी, जीव-जन्तु, सामाजिक आर्थिक प्रभाव, प्रदूषण एवं आपदा प्रबंधन से संबंधित जानकारियाँ होती हैं -

ई.आई.ए. के तत्व

- भूमि पर प्रभाव - भूमि विघटन
- भूकम्प की संभावना
- धरातलीय एवं भूगर्भिक जल, मिट्टी एवं वायु की गुणवत्ता
- पौधों एवं वन्य जीवों की खतरे में पड़ी किस्मों की जानकारी
- शोर प्रदूषण की स्थिति का आकलन
- सामाजिक-आर्थिक प्रभाव
- चक्रण पद्धति से कचरे में कमी आने की संभावनाओं का आकलन
- अवशिष्ट व बचे पदार्थों का पर्यास उपयोग
- जोखिम विश्लेषण व आपदा प्रबन्धन

पर्यावरणीय प्रभाव के निर्धारण की विधियाँ

पर्यावरणीय प्रभाव का निर्धारण तीन स्तरों में होता है। प्रथम स्तर - प्रारंभिक जांच । द्वितीय स्तर - तीव्र प्रभाव निर्धारण । तृतीय स्तर-विस्तृत प्रभाव निर्धारण ।

किसी भी विकास परियोजना का प्रारंभिक निरीक्षण यह जानने के लिए होता है कि क्या परियोजना के लिए प्रभाव निर्धारण की आवश्यकता है? यदि ऐसा लगे कि परियोजना पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव डाल सकती है, तो तीव्र पर्यावरण निर्धारण की मदद ली जाती है। इसके अंतर्गत संबंधित परियोजना की मुख्य बातों को जानने की कोशिश की जाती है। जो मामले महत्वपूर्ण नहीं होते उन्हें हटा दिया जाता है। प्रारंभिक एवं तीव्र प्रभाव निर्धारण के बाद विस्तृत प्रभाव निर्धारण किया जाता है। इसमें परियोजना के आलोचनात्मक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद आवश्यकता पड़ने पर परियोजना को क्रियान्वित होने से रोका भी जा सकता है।

भारत में पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण का कार्य पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा किया जाता। मंत्रालय विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय मूल्यांकन समिति गठित करती है। ये परियोजनाएं नदी घाटी एवं सिंचाई, खनन, उद्योग, ताप विद्युत, पर्यटन, धातुकर्म, कपड़ा, रबर, चमड़ा, कागज, परिवहन, रासायनिक उद्योग

आदि से संबंधित है। आवश्यकतानुरूप संबंधित विभाग की विशेषज्ञ समिति गठित कर दी जाती है जो उससे संबंधित पर्यावरणीय प्रभाव अनुमानक तैयार करती है।

2.4 चिपको आंदोलन

चिपको आंदोलन प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए एक कारगर उपाय है। यह केवल वृक्षों को बचाने का आंदोलन ही नहीं है, अपितु भूमि नीति में आमूल परिवर्तन की मांग कर स्थायी कल्याणकारी आर्थिक पक्ष (अनाज, चारा, ईधन, खाद, उर्वरक, कपड़ा) के लिए एक आधार प्रस्तुत करता है। इस आंदोलन का कर्म क्षेत्र अब केवल भारतवर्ष में न होकर स्विटजरलैण्ड, जर्मनी और हालैण्ड भी है। इस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी उल्लेखनीय है। चिपको आंदोलन की सफलता ने सिद्ध कर दिया कि गहन समस्याओं का निदान केवल नियम कानून बनाने से ही सम्भव नहीं होता। इसके लिए जन चेतना और अधिकारों की समझ होना भी आवश्यक है।

चिपको आंदोलन की शुरूआत 1974 में हुई। इस वर्ष इलाहाबाद स्थित खेल का सामान बनाने वाली एक कंपनी 'साईमंड' को चमोली जिले में अंगू प्रजाति के वृक्षों को काटने का ठेका दिया गया। अंगू प्रजाति के वृक्षों की लकड़ी का उपयोग कृषि उपकरण बनाने के लिए किया जाता था। इस वृक्ष की लकड़ी को स्थानीय जनता के लिए निषिद्ध कर दिया गया था। चमोली के रेणीगांव की सैकड़ों एकड़ वन क्षेत्र की नीलामी के निर्णय से जनता में असंतोष उत्पन्न हुआ। वन विभाग ने स्थानीय जनता के प्रतिरोध को कम करने के लिए रेणी और आसपास के ग्रामों के पुरुषों को युद्धकाल में उनके द्वारा निभाई गई भूमिका के मुआवजा भुगतान हेतु चमोली बुलाया गया। दूसरी ओर वनकर्मी एवं वन श्रमिक रेणी गांव पहुंच गये जिससे सम्पूर्ण गांव में खलवली मच गई। पुरुषों की अनुपस्थिति में रेणी गांव की एक साधारण महिला गौरा देवी श्रमिकों द्वारा वृक्षों को काटने से रोकने के लिए आगे आई। गौरादेवी ने गांव में घर-घर जाकर लड़कियों और महिलाओं को प्रतिरोध करने के लिए प्रेरित किया। मुरारीलाल एवं गौरादेवी के नेतृत्व में 27 अन्य स्त्रियां और लड़कियां पेड़ों से जाकर चिपक गई। गौरा देवी के नेतृत्व में वृक्षों को बचाने के लिए अहिंसक मार्ग 'चिपको' का प्रयोग किया गया। महिलाओं का कहना था कि ये जंगल हमारा मायका है, इसे हम किसी भी कीमत पर कटने नहीं देंगे। ठेकेदार एवं वनकर्मियों की बंदूक का भय एवं प्रलोभन भी इनकी हिम्मत कम नहीं कर पाए। महिलाओं के प्रतिरोध ने वृक्ष काटने पहुंचे वन श्रमिकों का हृदय परिवर्तन कर दिया। उन्होंने लगातार 2 दिन व 2 रात जंगल को घेरे रखा और जंगल प्रवेश के एक मात्र पुल को भी तोड़ दिया। 26 मार्च 1974 की इस घटना के बाद रेणी गांव चिपको आंदोलन का कर्मक्षेत्र बन गया। इस घटना के बाद पूरे उत्तराखण्ड में वन संरक्षण हेतु जनता में नवीन उत्साह का संचार हुआ।

बाद में चिपको आंदोलन को गति प्रदान करने के लिए सुन्दरलाल बहुगुणा ने 2800 कि.मी. की पद यात्रा की। आंदोलनकारियों के रुख को देखते हुए प्रदेश सरकार ने रेणी गांव क्षेत्र के वनों के काटने पर रोक लगा दी एवं उत्तरप्रदेश वन विकास निगम की स्थापना के साथ ठेकेदारी प्रथा का भी अंत हो गया। चिपको आंदोलन को राष्ट्रीय समर्थन व लोकप्रियता मिली।

चिपको कार्यकर्ताओं की हिमालय क्षेत्र के वनों को संरक्षित क्षेत्र घोषित करने की मांग स्वीकार की गई।

इस हिमालय क्षेत्र के वनों के हरे वृक्षों को अगले 15 वर्षों तक काटने पर रोक लगा दी गयी। द्वितीय चरण में चिपको आंदोलन का रचनात्मक स्वरूप वृक्षारोपण को आगे बढ़ाना रहा। चिपको आंदोलन से वृक्षों के बचाव को जनसमर्थन प्राप्त होने से अंधाधुंध कटाई पर विराम लगा। परिणामस्वरूप जंगलों का संवर्द्धन, भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि एवं वन्य प्राणियों के शिकार पर नियन्त्रण संभव हुआ।

2.5 साईलेण्ट वैली

साईलेण्ट वैली केरल का एक छोटा वनक्षेत्र है। यह पश्चिमी घाट पर नीलगिरी के दक्षिण-पश्चिमी ढाल पर स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 90 वर्ग कि.मी. है। यह क्षेत्र चारों ओर से ऊँची पहाड़ियों से घिरा हुआ है। दुर्गम पहाड़ी रास्तों के कारण यह जनसंख्याविहीन क्षेत्र है। इस घाटी में दुर्लभ एवं मूल्यवान वनस्पति एवं जन्तुओं का भंडार है। कुन्तीपूजा नदी साइलेन्ट वैली के बीच से होकर बहती है।

केरल राज्य विद्युत बोर्ड कुन्तीपूजा नदी पर बांध बनाकर जल विद्युत पैदा करना चाहता है। इसी प्रस्ताव को लेकर पर्यावरणीय विवाद प्रारंभ हुआ। केन्द्र सरकार के पर्यावरण विभाग ने केरल सरकार को बांध निर्माण पर पुनःविचार करने को कहा। उक्त कार्य हेतु एक समिति गठित की गयी।

समिति की जांच रिपोर्ट के अनुसार साईलेण्ट वैली कुछ विशिष्ट प्रकार की वनस्पतियों एवं वन्य प्राणियों का आश्रय स्थल है। यहां के भूमध्य रेखीय वर्षा वन बिना मानवीय हस्तक्षेप की स्थिति में ही सुरक्षित है। एम.जी.के. मेनन की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने बांध निर्माण को पर्यावरण की अपूरणीय क्षति बताकर बांध न बनाने की सिफारिश की। सन् 1985 में साइलेण्ट वैली को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया। जन आंदोलन के कारण ही बहुमूल्य वर्षा वन, दुर्लभ वनस्पति एवं जीव-जन्तुओं को सुरक्षित किया जा सका।

2.6 सी.एन.जी.

सी.एन.जी. (Compressed Natural Gas) एक सस्ता, अच्छा और कम प्रदूषण फैलाने वाला ऊर्जा संसाधन है, जो वाहनों के लिए उपयोगी है। गैस, डीजल की तुलना में कम प्रदूषण फैलाती है। इसके लाभों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली परिक्षेत्र में चलने वाली सभी बसों, ट्रेम्पों, आटो रिक्शा में जैविक ईंधन के स्थान पर सी.एन.जी. के उपयोग के निर्देश जारी किये। दिल्ली की बस यातायात व्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी सी.एन.जी से चलने वाली यातायात व्यवस्था बन गई है। सी.एन.जी. के उपयोग से दिल्ली नगर के वायु प्रदूषण में गिरावट आई है। अब सी.एन.जी. को अन्य क्षेत्रों में उपयोग करने की आवश्यकता पर विचार किए जा रहे हैं।

2.7 जल संरक्षण के प्रयास

मध्यप्रदेश के झाबुआ जिले में विगत कुछ वर्षों में वनों को निर्दयता पूर्वक काटा गया। इससे भूमि की उत्पादकता में कमी आयी, मृदा अपरदन बढ़ा और रोजगार के अवसर कम हुए। इससे स्थानीय आबादी को पलायन करना पड़ा। सन् 1994 में सूखा, अकाल एवं वनविनाश की समस्याओं के समाधान के लिए राजीव गांधी जलसंग्रहण मिशन का कार्य प्रारंभ हुआ। जलसंग्रहण मिशन के तहत जल संग्रहण हेतु स्थानीय समुदाय की मांग पर स्टाप डेम और तालाब बनाये गये। इन स्टाप डेमों और तालाबों में जल संग्रहण से जल की मात्रा में वृद्धि हुई, मिट्टी का कटाव रुका है, सिंचाई हेतु पानी मिला, पेड़-पौधे हरे भरे हुए तथा जल संकट से राहत हुई हैं एवं पशुओं

को आसानी से पानी मिलने लगा हैं। पशु धन एवं कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई हैं।

सन् 1999 में राज्य सरकार में एक पंच एक तालाब योजना के अन्तर्गत पंचायत के प्रत्येक सरपंच को अपने पांच साल के कार्यकाल में कम से कम एक तालाब के निर्माण को व पुराने तालाब के सुधार कार्य को अनिवार्य कर दिया। इस प्रकार 15 माह से कम समय में ही 3412 तालाबों का पुनः निर्माण एवं 500 नए तालाबों का निर्माण सम्भव हुआ। इनकी लागत का एक चौथाई व्यय जनता ने बहन किया।

वर्ष 2000 में पानी रोको अभियान के अन्तर्गत छोटे-छोटे बांध बनाकर पानी के संग्रहण को बढ़ाया गया, इससे 7 लाख जल संग्रहण क्षेत्र विकसित हुए।

गांव का पानी गांव में एवं खेत का पानी खेत में कार्यक्रम के तहत खेतों में ऊंची मेडे बनाकर खेतों में पानी का संग्रह किया गया। इससे 20,000 ग्राम लाभान्वित हुए। जल संरक्षण के उपर्युक्त सभी प्रयास मध्यप्रदेश राज्य में हुए जिसका अन्य राज्यों ने भी अनुसरण किया।

पर्यावरण संरक्षण आज के मानव समाज की अहम् आवश्यकता है। पर्यावरण प्रभाव के अनुमानक बन संरक्षण हेतु चिपको आंदोलन, साईलेण्ट वैली में दुर्लभ बनस्पति एवं बन्य -जीवों की सुरक्षा हेतु चलाये गये अभियान, वायु प्रदूषण से बचाव हेतु दिल्ली में सी.एन.जी. का उपयोग एवं मध्यप्रदेश में जल संरक्षण संवर्द्धन हेतु किये गए प्रयास पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र में मील के पत्थर हैं।



- | | |
|-------------------|--|
| फसल चक्र | : मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए खेतों में मौसम के अनुसार बदल-बदलकर पैदावार की व्यवस्था। |
| पुनः चक्रण | : ऐसी वस्तुओं या उत्पादों जिनका वास्तविक मूल्य उपयोग के कारण खत्म हो गया हो, को पुनः उपयोगी बनाना। |
| जैविक खेती | : यह वह खेती है जिसमें कृत्रिम रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं किया जाता, वरन् जैविक खाद (गोबर या पेड़ पौधों की पत्तियों से बनी हरी खाद) का उपयोग होता है। |
| जैव उर्वरक | : वे जीव जो मिट्टी में पौष्टिक तत्व पैदा करते हैं। जैसे - जीवाणु, वर्मी, फफूँद। |

अध्यास

सही विकल्प चुनकर लिखिए -

- अ. आधुनिक कृषि में प्रोत्साहन दिया जा रहा है -
- (i) जैविक खेती को (ii) जैव उर्वरकों के उपयोग को
- (iii) जैव कीटनाशकों के उपयोग को (iv) उपर्युक्त सभी को
- ब. पर्यावरण प्रभाव के निर्धारण का अंतिम स्तर है -

- | | | | |
|-------|---|------|-----------------------------|
| (i) | विस्तृत प्रभाव निर्धारण | (ii) | आलोचनात्मक पहलुओं का अध्ययन |
| (iii) | तीव्र प्रभाव निर्धारण | (iv) | जोखिम का विश्लेषण |
| स. | भारत में पर्यावरण प्रभाव के निर्धारण की जिम्मेदारी है - | | |
| (i) | पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की | (ii) | रक्षा मंत्रालय की |
| (iii) | पर्यटन एवं शहरी मंत्रालय की | (iv) | कृषि मंत्रालय की |
| द. | चिपको आंदोलन का प्रारम्भ हुआ - | | |
| (i) | कर्नाटक में | (ii) | पूर्वोत्तर भारत में |
| (iii) | उत्तराखण्ड में | (iv) | केरल में |
| इ. | भारत में सी.एन.जी. का उपयोग सबसे पहले प्रारम्भ हुआ - | | |
| (i) | मुम्बई में | (ii) | दिल्ली में |
| (iii) | कोलकाता में | (iv) | चैन्नई में |

रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए-

1. साइलेंट वैली राज्य का एक छोटा वन क्षेत्र है।
2. चिपको आंदोलन की शुरूआत सन् में हुई।

अतिलघुत्तरीय प्रश्न -

1. पर्यावरण संरक्षण से क्या आशय है ? समझाइए।
2. पर्यावरण प्रभाव निर्धारण से आप क्या समझते हैं ?
3. पर्यावरण प्रभाव का निर्धारण भारत में किस मंत्रालय की जिम्मेदारी है ?
4. जैविक खेती से आप क्या समझते हैं ?
5. पर्यावरण प्रभाव निर्धारण के तीन प्रमुख स्तर कौन-कौन से हैं ?
6. हमें पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता क्यों है ?

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. चिपको आंदोलन क्या है एवं इसके आधारभूत तत्व कौन-कौन से हैं ?
2. पर्यावरण संरक्षण किन महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक है, समझाइए।
3. ई.आई.ए. की क्या भूमिका है ? किन तत्वों को आधार मानकर ई.आई.ए. तैयार किया जाता है, वर्णन कीजिए।
4. सी.एन.जी. से क्या आशय है ? भारत में इसका सर्वाधिक उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है ?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न -

1. चिपको आंदोलन से क्या आशय है ? इसका प्रारंभ कैसे हुआ तथा इसकी अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के क्या कारण थे?
2. साइलेंट वैली पर टिप्पणी लिखिए ।
3. जल संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए मध्यप्रदेश में कौन-कौन से प्रयास किये गये हैं, विस्तार से वर्णन कीजिए।